राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एंव भूविज्ञान विभाग,राजस्थान,उदयपुर ।

क्रमांकः–निदे / नियु / 5 / प–नियुक्ति / क.स.–2013 / 5110   दिनांक 13–4–2018

::– कार्यालय आदेश –::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांकः प.1(6)प्र.सु. / अनु.–3 / 2017 दिनांकः 08.02.2018 के द्वारा विभाग में नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600 / – प्रतिमाह (पे मेट्रिक्स लेवल संख्या 5 पर) अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र. स.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	श्रेणी	जन्म दिनांक	पदस्थापन कार्यालय
1.	4862	143308	सुश्री सन्जू चौधरी पुत्री श्री बनवारीलाल चौधरी	BC,WE	15–7–1992	निदेशालय, उदयपुर
2.	4863	673355	श्रीमती मोनिका पुत्री श्री अशोक कुमार	BC,WE	16–10–1989	स.ख.अ. बालेसर
3.	4864	458523	श्री सुरेन्द्र बारोटिया पुत्र श्री हरिराम बारोटिया	SC	16–7–1993	अ.ख.अ. राजसमन्द
4.	4867	157811	श्रीमती उषा यादव पुत्री श्री राजेन्द्र यादव	BC,WE	8–7–1995	अ.ख.अ.(सर्त.) भीलवाडा
5.	4899	645365	श्री संजय कुमार खिटोलिया पुत्र श्री मदनलाल खिटोलिया	SC	7–3–1987	स.ख.अ. बालेसर
6.	4916	262705	श्री राहुल मीणा पुत्र श्री मुन्सीराम मीणा	ST	2–6–1992	स.ख.अ. सावर
7.	4919	736102	सुश्री रेखा छंगाणी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार छंगाणी	BC,WE	19–9–1994	स.ख.अ. गोटन

नोटः–उपरोक्त नवनियुक्त कार्मिकों को दिनांकः 23.04.2018 तक अपने–अपने पदस्थापन कार्यालयों में अपनी उपस्थिति देनी अनिवार्य है, निर्धारित अवधि तक उपस्थिति नही देने पर नियुक्ति आदेश निरस्त की जावेगी।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:–

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693 / 2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांकः 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांकः 07.07.2017 को घोषित किये जाने के फलस्वरूप नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांकः 21.11.2017 को जारी की गयी, उक्त नियुक्तियां डी.बी. रिट अपील संख्या– 965 / 2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांकः 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं / अपीलों के अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स–पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ11/एसटी/एससी/ओबीसी/एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांकः 09.09.2015, पत्रांकः 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांकः 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परीविक्षाकाल (Probationer Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नही होंगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर ली गयी विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर इन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या–एफ13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांकः 28.01.2004 एवं दिनांकः 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
12. परीविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या– एफ12(6)एफडी/रूल्स/05दिनांकः13.03.2006,6(6)एफडी/रूल्स/2005दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांकः13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांकः 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान नियम–2008 दिनांकः 30.10.2017 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
13. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/–रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेंगी।

14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उतीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होंगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

13-4-18

(डी.एस.मारू)
निदेशक
खान एंव भूविज्ञान विभाग
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांकः–निदे/नियु/5/प–नियुक्ति/क.स.–2013/5111 – 5138 दिनांक 13-4-2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, खान (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान–जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर/कोटा/जोधपुर/जयपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाडा/राजसमन्द/जोधपुर/अजमेर/(सतर्कता),भीलवाडा।
5. सहायक खनि अभियंता, बालेसर/सावर/गोटन।
6. नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन कार्यालयों के नियंत्रण अधिकारियों को भेजकर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा साथ ही उपरोक्तानुसार अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करा इनके उपस्थिति देने की सूचना तत्काल भिजवावें।
7. अतिरिक्त निजी सचिव (निदेशक)/निजी सहायक(अ.नि.प्र.)/स्ट्रेन्थ लिपिक/बजट अनुभाग/बिल लिपिक/एसीआर सैल, के.का., उदयपुर।
8. सुश्री संजू चौधरी पुत्री श्री बनवारीलाल चौधरी, ढाणी–गोढां, गांव–खुर्रमपुरा, पोस्ट–मण्डरू, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.) 332712**(रजिस्टर्ड ए0डी0)**
9. श्रीमती मोनिका पुत्री श्री अशोक कुमार, सुनारों का मोहल्ला, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के पास, समदड़ी, जिला–बाड़मेर (राज.) 344021**(रजिस्टर्ड ए0डी0)**
10. श्री सुरेन्द्र बारोटिया पुत्र श्री हरिराम बारोटियां, ग्रा.पो.–धीरदेसर चोटियांन, तहसील–श्रीडूंगरगढ़, जिला–बीकानेर (राज.) 331803**(रजिस्टर्ड ए0डी0)**
11. श्रीमती उषा यादव पत्नि श्री अरूण यादव, बाढ देवथला, ग्रा.पं.–देवथला, पोस्ट–निवाणा, वांया–ईटावा भोपजी, तहसील–चोमूं, जिला–जयपुर (राज.) 303804**(रजिस्टर्ड ए0डी0)**
12. श्री संजय कुमार खिटोलिया पुत्र श्री मदन लाल खिटोलिया, म.नं.–03, लाला लाजपत राय कॉलोनी, पांचवी चौपासनी रोड़, सरदारपुरा, जिला–जोधपुर (राज.) 342003**(रजिस्टर्ड ए0डी0)**
13. श्री राहुल मीणा पुत्र श्री मुन्शीराम मीणा, प्लोट नं.–05, शंकरनगर, रोड़ नं.–01, वी.के.आई. ऐरिया, जिला–जयपुर (राज.) 302013**(रजिस्टर्ड ए0डी0)**
14. सुश्री रेखा छंगाणी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार छंगाणी, पित्रिवाड़ा, धन्नानियों की गली, जिला–नागौर (राज.)**(रजिस्टर्ड ए0डी0)**
15. रक्षित पत्रावली।

(बाल मुकुंद असावा) R.A.S
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)